Ex.P-262

S-37

कथन – मो. शब्बीर बारवटिया

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	मो. शब्बीर बारवटिया पिता स्व. हाजी याकूब बारवटिया
उम्र	–	46 वर्ष
पता	–	सन सिटी, मकान नं.–100, लालबाग सिविल लाईन, जगदलपुर जिला बस्तर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	94252–58052
व्यवसाय	–	संचालक, रहमत् राईस मिल, बस्तर एग्रो इन्डस्ट्रीज राजनगर बकावंड बस्तर एवं बारवटिया एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज बालिंगा बस्तर (छ0ग0)

——00——

मैं मो. शब्बीर बारवटिया पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं रहमत् राईस मिल का प्रोपाईटर हूं बारवटिया एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज बालिंगा जो मेरे भाई मो. अलताफ बारवटिया एवं भतीजा फैयाज बारवटिया के नाम से है, किन्तु देख–रेख मैं करता हूं। बस्तर एग्रो इन्डस्ट्रीज राजगर बकावंड में एम. राजू राव (श्री दुर्गा राईस मिल) के साथ पार्टनरसिप में है। मार्कफेड से अनुबंध के आधार पर धान का उठाव कर मिल में लेजाकर सी.एम.आर. के तहत चावल तैयार कर नागरिक आपूर्ति निगम को देना होता है। सी.एम.आर. के तहत तैयार चावल को मापदंड के अनुसार तैयार कर राज्य भंडार गृह ले जाते है, चावल को ट्रको से अनलोड़ कराने के बाद नान के क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा सभी बोरों से थोड़े–थोड़े चावल नमूना के निकाल कर परीक्षण किया जाता है। जगदलपुर में नान का 06 गोदाम है, इसलिये गोदाम में स्पेश की समस्या नहीं है। जगदलपुर में पदस्थ नान के अधिकारी/कर्मचारी आपस में यह तय कर लिये हैं कि जितने भी चावल सी.एम.आर. के तहत आयेंगे प्रति क्विंटल एक निर्धारित राशि रकम की मांग की जाती है। अन्य राईस मिलर्स से मुझे जानकारी मिली है कि प्रति क्विंटल 12रू. के हिसाब से मांग करते है। जगदलपुर में पदस्थ क्वालिटी इंस्पेक्टर श्री सतीश कैवर्त्य के पास हिसाब के जो पर्ची मिलना बताया जा रहा है उसमे उल्लेखित बारबटिया एवं बस्तर एग्रो दोनो फर्म मेरा है। बारबटिया मिल से हमारे द्वारा नान में लगभग 10,800 क्विंटल (माह सितम्बर तक) जमा किया गया है, जो लगभग 12रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से 1,26,952रू. लेख है। बस्तर एग्रो के सामने 1,32,368रू. के ठीक सामने 41 लेख है, इस संबंध में मेरा कहना है कि सितम्बर तक बस्तर एग्रो से हमने कुल 41 लॉट चावल नान में जमा किये है जो कि लगभग 11 हजार क्विंटल होता है, जिसे 12रू. के हिसाब से गणना करने पर करीब 1,32,368रू. होता है, जिसे शेष के रूप में दर्शाया गया है। उक्त विषय में मेरा यह कहना है कि मैने कभी भी क्वालिटी के समझौते के नाम पर कोई भी रकम नान के अधिकारियों को नहीं दिये, जिला प्रबंधक, जगदलपुर आदिनारायण राव से मुझे

कलेक्शन राशि के बैलेंस क्लीयर करने के संबंध में फोन किया जाता था। मैंने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जप्तसुदा कागज को देखा उसमें बरबटिया के समक्ष जो 126952 की संख्या लिखी है, वह मेरे द्वारा सितम्बर 2014 तक जमा किये गये लगभग 80 लॉट चावल के विरूद्ध में उनके द्वारा वसूले जा रहे रकम के बारे में लिखा प्रतीत होता है, जो कि 80 लॉट X 270 क्विंटल X 12रू.= 1,29,600रू. जो कि उपर में लिखाये गये रकम के ही आस–पास है। मैं उक्त जमा किये गये लॉट के बारे में जानकारी आज मैं अपने याददास्त के अनुसार बता रहा हूं। मैं और मेरे अन्य साथी जिसमें दुर्गा राईस मिल के संचालक एम. राजू राव भी है, उन्हें नान के भ्रष्टाचार में सहयोग न देने के कारण परेशान किया जाता है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 06.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ